

05.04.22 पत्रावली पेथ दुई मधिवक्ता मपीलांरम
मपीलांर मधिवक्ता ने ज्ञापनात
मादेशा की पालना में देखा के बाद
माज तब एफिडविट लभान पेथ
नहीं किए जो पेटरी में उदाहीनता
को दंगित करता है लिहाजा मपीलांर
इसी हद पर खादिज की
पारी है पत्रावली के हाल शुभार
नेकत से कम लेकर बाद रकमलि
दाखिल करते ही मादेशा अह
इचलाया सुनाया गया


रमल अरीस अधिकारी
बाबनेर